बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0/BSPTCL–01/2017 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटड के अन्तर्गत ग्रिड सब स्टेशनों के फीडरों में ABT मीटर की स्थापना के साथ ऑन लाइन डेटा संचार और ऑन लाइन डेटा निगरानी का प्रावधान सहित ऊर्जा लेखा और लेखा परीक्षा हेतु राशि 71.00 (एकहत्तर) करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 14.12 करोड़ (चौदह करोड़ बारह लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 56.88 करोड़ (छप्पन करोड़ अठासी लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में 14.12 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटड की एक महत्त्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत राज्य में परिचालित सभी ग्रिड सब स्टेशनों के 220 के0भी0, 132 के0भी0 एवं 33 के0भी0 फीडरों से होने वाली विद्युत आपूर्ति की मात्रा का वास्तविक समय के आधार पर (Real Time Basis) मुख्यालय तक डेटा उपलब्ध कराया जाना तथा इस डेटा का सत्त निगरानी किया जाना है ताकि परियोजना के कार्यान्वयन होने के उपरान्त 220 के0भी0, 132 के0भी0 एवं 33 के0भी0 विद्युत प्रणाली में आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति पर बेहतर नियंत्रण एवं बिजली की वास्तविक आवश्यकता का ससमय आकलन करने हेतु आवश्यक डेटा मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध रहे। यह परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा तकनीकि रूप से अनुमोदित/स्वीकृत है।

2 उक्त योजना से निम्न फायदें होगें:–

i. ऊर्जा अंकेक्षण/भार आकलन एवं मीटर पठन किया जा सकेगा। इस गणना के आधार पर व्यस्ततम एवं अव्यस्ततम समय (Peak Hour/Off peak Hour) में फीडर एवं क्षेत्र के अनुसार अधिकतम भार एवं खपत का आकलन किया जा सकेगा। तदनुसार ऊर्जा संरचना का आकलन एवं आवश्कतानुसार इसे विकसित किया जा सकेगा।

ii. मीटर रीडिंग एवं डेटा के आधार पर वास्तविक भार का पूर्वानुमान कर आवश्यक ऊर्जा उपलब्धता को निर्धारित किया जा सकता है। फलस्वरूप ऊर्जा क्रय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हो सकेगी।

iii. अनिर्धारित ऊर्जा अन्तर्विनिमय (Interchange) की संगणना एवं संचरण हानि की कटौती में सहायक होगा।

iv. भार आकलन एवं निगरानी के आधार पर ऊर्जा संरचना में गुणात्मक एवं सुचारू रूप से ऊर्जा का परिचालन किया जा सकेगा।

v. बिहार विद्युत ग्रिड कोड 2010 की धारा 15 के अंतर्गत सभी ग्रिड सब स्टेशनों ऑनलाइन मीटरों को लगाने का अधिदेश है।

vi. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के टैरिफ आदेश में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0 को सभी फीडरों एवं अन्तरफलक बिंदुओं (Interface Point) पर एनर्जी मीटर लगाना अनिवार्य किया है, जिसे इस योजना में सम्मिलित किया गया है।

3. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंम्पनी लिमिटड के अन्तर्गत ग्रिड सब स्टेशनों के फीडरों में ABT मीटर की स्थापना के साथ ऑन लाइन डेटा संचार और ऑन लाइन डेटा निगरानी का प्रावधान सहित ऊर्जा लेखा और लेखा परीक्षा के आधार पर विद्युत आपूर्ति एवं खपत का निगरानी एवं नियंत्रण संभव हो सकेगा, जिसके लिए उक्त योजना की स्वीकृति आवश्यक है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटड के अन्तर्गत ग्रिड सब स्टेशनों के फीडरों में ABT मीटर की स्थापना के साथ ऑन लाइन डेटा संचार और ऑन लाइन डेटा निगरानी का प्रावधान सहित ऊर्जा लेखा और लेखा परीक्षा हेतु राशि 71.00 (एकहत्तर) करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 14.12 करोड़ (चौदह करोड़ बारह लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 56.88 करोड़ (छप्पन करोड़ अठासी लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वष 2017–18 में 14.12 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0101– बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना, मांग सं0–10, विपत्र कोड– 10–4801057890101 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0044–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि०, व्यय शीर्ष–L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200044 में जमा की जाएगी।

7. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–01/2017 के पृष्ठ संख्या–14/टि0 पर दिनांक–19.09.2017 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–01/2017 पृष्ठ संख्या–18/टि0 पर दिनांक–04.10.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / BSPTCL–01 / 2017 / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 /–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / BSPTCL–01 / 2017 3251 / पटना, दिनांक– 30/10/2017

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड / उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

10